राजनीति

भारत में पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई)।

पंचायती **राज प्रणाली को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया, जिसका उद्देश्य शासन का विकेंद्रीकरण करना, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र को बढ़ावा देना था।

पंचायती राज संस्थाओं के स्वैच्छिक और अनिवार्य प्रावधान

अनिवार्य प्रावधान	स्वैच्छिक प्रावधान
गांवों में ग्राम सभा संरचना लागू की गई।	ग्राम सभा को विशिष्ट शक्तियों और कार्यों से सशक्त बनाना।
त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली (ग्राम, मध्यवर्ती, जिला) स्थापित की गई।	ग्राम पंचायत अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया को परिभाषित करना।
सभी पंचायत स्तरों के लिए **प्रत्यक्ष चुनाव ;** मध्यवर्ती/जिला स्तर पर अध्यक्षों के लिए **अप्रत्यक्ष चुनाव ।**	उच्च स्तरीय पंचायतों में **ग्राम/मध्यवर्ती अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व ।**
चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम **आयु 21 वर्ष ।**	सभी स्तरों पर पंचायतों में **पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करना ।**
एक तिहाई सीटें महिलाओं (सदस्यों और अध्यक्षों) के लिए आरक्षित।	आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और ग्यारहवीं अनुसूची में कार्यों के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन।
पंचायत का **कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया** ; भंग होने पर **छह माह के भीतर नये चुनाव** कराये जायेंगे।	पंचायतों को कर, शुल्क और फीस लगाने, संग्रहित करने और प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करना।
पंचायत चुनाव कराने के लिए **राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई।**	राज्य द्वारा एकत्रित करों का आवंटन करना तथा पंचायतों को अनुदान सहायता प्रदान करना।

	पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधन प्रबंधन निधि की स्थापना करना।

पंचायती राज संस्थाओं का महत्व

1. **सत्ता का विकेंद्रीकरण:**
    - पंचायती राज संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि शासन लोगों के अधिक निकट हो, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में सुविधा हो।
    - **उदाहरण:** पंचायतों द्वारा ***महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम*** *(एमजीएनआरईजीए)* का सफल कार्यान्वयन ।
2. **जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक शासन:**
    - **समावेशी लोकतंत्र को** बढ़ावा देती हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं।
    - **तथ्य: पंचायती राज संस्थाओं में 14 लाख** से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यरत हैं, जिनमें **46% महिला प्रतिनिधित्व है** (2023 तक)।
3. **हाशिये पर पड़े समुदायों का सशक्तिकरण:**
    - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है।
    - **उदाहरण:** मध्य प्रदेश में, पंचायती राज संस्थाओं ने दलित महिला नेताओं को स्थानीय शासन को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने में सक्षम बनाया है।
4. **सहभागी योजना:**
    - ग्राम सभाएं और अन्य निकाय ग्रामीणों को योजना और निगरानी में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की अनुमति देते हैं।
    - **उदाहरण: केरल के *जन योजना अभियान*** *ने* ग्रामीणों को विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।
5. **कुशल संसाधन उपयोग:**
    - स्थानीय शासन वित्तीय और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाएँ

1. **स्थानीय विकास योजना:**
    - क्षेत्र-विशिष्ट विकास योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन।
    - **उदाहरण: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं ने** *मनरेगा* के तहत जल संरक्षण परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं ।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

2. **सेवा वितरण:**

   ○ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और शिक्षा जैसी सेवाओं का प्रबंधन।

   ○ **उदाहरण:** तमिलनाडु में, पंचायती राज संस्थाओं ने स्वास्थ्य आउटरीच कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया।

3. **महिलाओं एवं हाशिए पर पड़े समूहों का सशक्तिकरण:**

   ○ महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का नेतृत्व बढ़ा।

   ○ **तथ्य: 33% से अधिक पंचायतों में** महिलाएं अध्यक्ष हैं , तथा कई राज्यों में यह आंकड़ा इस सीमा से भी अधिक है (जैसे, बिहार में **50% आरक्षण**)।

4. **सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन:**

   ○ **पी.एम.ए.वाई.** , **स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.)** और **पी.एम.जी.एस.वाई** . जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में पी.आर.आई. अग्रणी हैं।

5. **युद्ध वियोजन:**

   ○ पंचायतें पारंपरिक तंत्र के माध्यम से विवादों को सुलझाने में स्थानीय अदालतों के रूप में कार्य करती हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के लाभ

1. **लोकतंत्र को मजबूत बनाना:**

   ○ पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर नागरिकों को शासन में शामिल करके लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं।

2. **महिला सशक्तीकरण:**

   ○ **उदाहरण: राजस्थान में महिला सरपंचों ने *स्वच्छ भारत मिशन*** *के तहत स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया है* ।

3. **बेहतर प्रतिनिधित्व:**

   ○ **तथ्य:** नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, **पंचायती राज संस्थाओं में 46% से अधिक प्रतिनिधि महिलाएं हैं** , जो लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

4. **बेहतर जवाबदेही:**

   ○ ग्राम सभा की बैठकें शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाती हैं।

5. **संसाधनों का कुशल उपयोग:**

   ○ प्रत्यक्ष सामुदायिक भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि धन का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाए।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

○ **उदाहरण: केरल में, पंचायती राज संस्थाओं ने** *जन योजना अभियान* से प्राप्त धन का उपयोग करके ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार किया ।

पंचायती राज संस्थाओं की उपलब्धियां

1. **उन्नत बुनियादी ढांचा:**

○ ***पीएमजीएसवाई के*** **अंतर्गत** ग्रामीण सड़क सम्पर्क का कार्यान्वयन पंचायतों द्वारा किया जाता है।

○ **उदाहरण:** तमिलनाडु पंचायती राज संस्थाओं ने 12,000 से अधिक गांवों में कनेक्टिविटी में सुधार किया।

2. **महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि:**

○ महिला नेताओं ने स्वच्छता और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है।

○ **उदाहरण:** हरियाणा में महिला सरपंचों ने घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए सफल अभियान चलाया।

3. **स्वच्छता एवं स्वास्थ्य:**

○ खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा प्राप्त करने के लिए कई पंचायतों को **निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किए गए।**

4. **जनजातीय विकास:**

○ जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक एकीकरण में पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

○ **उदाहरण: झारखंड पंचायती राज संस्थाओं ने वन अधिकार अधिनियम, 2006** के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया तथा जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा की।

5. **सहभागी शासन की सफलता:**

○ केरल के *जन योजना अभियान ने* ग्राम सभाओं को शामिल करके स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार किया।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के समक्ष चुनौतियाँ

1. वित्तीय बाधाएं

- **अनुदान पर निर्भरता** : पंचायती राज संस्थाएं केन्द्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर रहती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता कम हो जाती है।

○ *उदाहरण* : मनरेगा जैसी योजनाओं से जुड़ी केंद्रीय सहायता विवेकाधीन व्यय को सीमित करती है।

- **खराब आंतरिक राजस्व सृजन** : अकुशल कर संग्रह प्रणाली और संकीर्ण कर आधार आत्मनिर्भरता में बाधा डालते हैं।

- **अनियमित वित्तीय लेखा-परीक्षण** : इससे दुर्विनियोजन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
    - *उदाहरण*: नीति आयोग की एक रिपोर्ट में महाराष्ट्र में वित्तीय लेखापरीक्षा में खामियां पाई गईं, जहां 40% ग्राम पंचायतें मानदंडों का पालन करने में विफल रहीं।

2. सीमित प्रशासनिक क्षमता

- **कुशल कार्मिकों की कमी** : अपर्याप्त प्रशिक्षण और कुशल मानव संसाधनों की कमी से कार्य निष्पादन में बाधा आती है।
    - *उदाहरण*: 2021 के आईएसएस अध्ययन में पाया गया कि 30% से भी कम पंचायत कर्मचारी ई-ग्रामस्वराज जैसे डिजिटल शासन में प्रशिक्षित हैं।
- **रिक्तियां और अत्यधिक कार्यभार वाला स्टाफ** : कम स्टाफ-जनसंख्या अनुपात सेवा वितरण को बाधित करता है।
    - *उदाहरण*: बिहार जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है।

3. शक्तियों का सीमित हस्तांतरण

- **कार्यों और निधियों में अस्पष्टता** : राज्य अक्सर महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखते हैं, जिससे वास्तविक सशक्तीकरण सीमित हो जाता है।
- **विधायकों और सांसदों का हस्तक्षेप** : स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप निर्णय लेने की स्वायत्तता को कमजोर करता है।
- **अर्ध-सरकारी निकायों का निर्माण** : ये संस्थाएं पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का अतिक्रमण करती हैं, जिससे उनकी वैधता कमजोर होती है।

4. भागीदारी और प्रतिनिधित्व के मुद्दे

- **महिलाओं एवं हाशिए पर पड़े समूहों की कम भागीदारी** : "पंच-पति" (निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति) द्वारा प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व तथा वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति का अभाव।
    - *तथ्य*: निर्वाचित पदों पर 1.4 मिलियन महिलाओं के होने के बावजूद, वास्तविक सशक्तिकरण एक चुनौती बनी हुई है।
- **एससी/एसटी समुदायों का कम प्रतिनिधित्व** : प्रॉक्सी सिस्टम निर्णय लेने में उनकी आवाज को कमजोर करता है।

5. राजनीतिक और संरचनात्मक कमियाँ

- **राजनीतिक हस्तक्षेप** : नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता को कम करता है।
- **संरचनात्मक कमियां** : कई पंचायती राज संस्थाओं में कार्यालय बुनियादी ढांचे, तकनीकी डेटाबेस और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का अभाव है।

- *उदाहरण*: 25% से अधिक ग्राम पंचायतों में कार्यालय भवन का अभाव है, जिससे परिचालन दक्षता सीमित हो जाती है।

6. जवाबदेही और निगरानी का अभाव

- **कमजोर निगरानी तंत्र** : सेवा वितरण में खराब निरीक्षण के कारण अकुशलताएं पैदा होती हैं।
  - *उदाहरण*: राजस्थान में 2022 की सीएजी रिपोर्ट में पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताओं को उजागर किया गया।
- **वित्तीय कुप्रबंधन** : नियमित लेखापरीक्षा का अभाव भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को बढ़ाता है।

7. समन्वय चुनौतियां

- **क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर समन्वय** : विभागों एवं योजनाओं के बीच खराब एकीकरण के कारण अकुशलताएं उत्पन्न होती हैं।
  - *उदाहरण*: बिहार में मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के बीच खराब तालमेल के कारण स्वच्छता परिणाम प्रभावित हुए।

8. पारिश्रमिक में भिन्नता और मानकीकरण का अभाव

- **कार्मिकों का स्थानांतरण** : उच्च पारिश्रमिक वाले राज्य अन्य राज्यों से कर्मचारियों को आकर्षित करते हैं।
  - *उदाहरण*: झारखंड के पीडीओ 2022 में बेहतर वेतन के कारण ओडिशा की ओर पलायन कर रहे हैं।
- **स्टाफ नियुक्तियों के लिए दिशानिर्देशों का अभाव** : स्पष्ट नियमों के अभाव से परियोजना कार्यान्वयन में बाधा आती है।
  - *उदाहरण*: उत्तर प्रदेश में 50% से अधिक पंचायतों में 2023 में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देशों का अभाव था।

9. बुनियादी ढांचे का घाटा

- **खराब कार्यालय और आईटी अवसंरचना** : सीमित सुविधाएं सेवा वितरण और शासन को प्रभावित करती हैं।
  - *उदाहरण*: कई ग्रामीण पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का अभाव है, जिससे ई-गवर्नेंस पहल में बाधा आ रही है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों के समक्ष चुनौतियाँ

1. **नेतृत्व कौशल की कमी**
   - केवल 35% महिला नेताओं के पास औपचारिक शासन प्रशिक्षण है (*पंचायती राज मंत्रालय, 2020*)।
2. **पुरुष वर्चस्व (पितृसत्ता)**

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- परिवार के पुरुष सदस्य अक्सर महिलाओं की ओर से निर्णय लेते हैं (*पीआरआईए, हरियाणा, 2021*)।

3. **निरक्षरता और जागरूकता का अभाव**
   - बिहार में 60% महिलाओं को योजनाओं की जानकारी का अभाव है (*एनआईआरडी, 2022*)।
4. **चुनावों में कम भागीदारी**
   - राजस्थान में **केवल 10% हाशिए** पर रहने वाली महिलाओं ने चुनाव लड़ा (*2021*)।
5. **उधार लेने का डर**
   - ओडिशा में महिला पीआरआई ने उपलब्ध ऋण का केवल 30% ही उपयोग किया (*नाबार्ड, 2023*)।
6. **प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व**
   - पति प्रायः अनौपचारिक रूप से कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जिससे महिलाओं की भागीदारी सीमित हो जाती है।
7. **सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ**
   - सामाजिक मानदंड और कलंक सार्वजनिक बैठकों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को प्रतिबंधित करते हैं।
8. **गतिशीलता और सुरक्षा मुद्दे**
   - यात्रा संबंधी बाधाओं के कारण महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकों में भाग नहीं ले पाती हैं।
9. **आर्थिक निर्भरता**
   - महिलाओं का पंचायत निधि पर नियंत्रण नहीं है (*पंजाब, 2022*)।
10. **दोहरी जिम्मेदारियाँ**
    - घरेलू कामों और पंचायत कर्तव्यों में संतुलन बनाने से उनकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है (*पश्चिम बंगाल, 2021*)।
11. **सलाहकारों की कमी**
    - कुछ रोल मॉडल और सहकर्मी नेटवर्क महिलाओं के आत्मविश्वास और सीखने में बाधा डालते हैं।
12. **कमज़ोर शिकायत तंत्र**
    - उत्पीड़न से निपटने के लिए अपर्याप्त प्रणालियाँ सक्रिय भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं (*कर्नाटक, 2023*)।
13. **कोटा के बारे में सीमित जागरूकता**
    - अनेक लोग अपने प्रतिनिधित्व के संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

भारत में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सुझाव

1. **वित्तीय संसाधनों को मजबूत करें**

    ○ पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने तथा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर समय पर अनुदान सुनिश्चित करने के लिए *द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को* लागू करना ।

    ○ संपत्ति कर, टोल और सेवा शुल्क के माध्यम से स्वतंत्र राजस्व सृजन को प्रोत्साहित करें।

2. **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण**

    ○ *पंचायत नेतृत्व एवं* पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी ।

    ○ निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए शासन, डिजिटल उपकरण और नेतृत्व पर नियमित प्रशिक्षण।

3. **3एफ (कार्य, निधि, पदाधिकारी) का प्रभावी हस्तांतरण सुनिश्चित करना**

    ○ विभिन्न सरकारी स्तरों के लिए भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से चित्रित करें (*गतिविधि मानचित्रण की अवधारणा*)।

    ○ कर्नाटक की तरह पंचायती राज संस्थाओं के लिए समर्पित नौकरशाही कैडर नियुक्त करें।

4. **महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें**

    ○ महिला प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम प्रदान करना।

    ○ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

5. **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएँ**

    ○ शिकायतों के निपटान और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए ***एक स्थानीय निकाय लोकपाल*** *की स्थापना करें।*

    ○ *मिशन अंत्योदय* जैसी पहलों के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा को बढ़ावा देना ।

6. **जमीनी स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करें**

    ○ समावेशी आधार-स्तर की योजना के लिए ग्राम सभा की बैठकों को मजबूत बनाना।

    ○ नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के बीच।

7. **डिजिटल एकीकरण**

    ○ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करें और *ई-ग्रामस्वराज* प्लेटफॉर्म जैसे ई-गवर्नेंस टूल को लागू करें।

    ○ ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए गुजरात की *ई-ग्राम विश्वग्राम जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देना।*

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

8. **बुनियादी ढांचे में सुधार**

○ योजना और निगरानी के लिए पर्याप्त सचिवीय सहायता, कार्यालय स्थान और डेटाबेस प्रणाली प्रदान करना।

○ समावेशी अवसंरचना विकास पर ध्यान केन्द्रित करना, जैसा कि ***पेड्डा अम्बरपेट पंचायत, तेलंगाना द्वारा प्रदर्शित किया गया है*** **।**

9. **प्रदर्शन को प्रोत्साहित करें**

○ हरियाणा की *7 स्टार रेनबो योजना जैसी योजनाओं का उपयोग करके* प्रमुख विकास मानदंडों के आधार पर पंचायतों को रैंकिंग और पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

○ बेहतर ग्रामीण विकास परिणामों के लिए प्रदर्शन-आधारित भुगतान मॉडल अपनाएं **(*सुमित बोस समिति*)।**

10. **अभिसरण को बढ़ावा देना**

- एकीकृत विकास के लिए पीआरआई और अन्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना (*उदाहरण के लिए, बिहार में मनरेगा-एसबीएम अभिसरण*)।
- स्थानीय विकास योजनाओं को राज्य और केंद्रीय पहलों के साथ संरेखित करें।

11. **सर्वोत्तम प्रथाओं से समर्थन**

- *पंचायत हस्तांतरण सूचकांक* में केरल की शीर्ष रैंकिंग से सीख लें ।
- बेहतर सेवा वितरण के लिए आंध्र प्रदेश के *ग्राम सचिवालय मॉडल का अनुकरण करें।*

12. **निगरानी तंत्र को मजबूत करें**

- निधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित ऑडिट अनिवार्य करें।
- पंचायत स्तर के कर्मचारियों की भर्ती और निगरानी के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करें।

निष्कर्ष

ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण और अनुच्छेद 40 डीपीएसपी के अनुरूप है, जो आत्मनिर्भर ग्राम शासन की वकालत करता है। वित्तीय स्वायत्तता, क्षमता निर्माण और समावेशी भागीदारी के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करके, पीआरआई एक जीवंत और लोकतांत्रिक भारत की नींव बन सकते हैं, संवैधानिक आदर्शों को पूरा कर सकते हैं और जमीनी स्तर पर विकास को सशक्त बना सकते हैं।

भारत में शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)

संवैधानिक अधिदेश

- **74 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा** यूएलबी को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में स्थापित करने के लिए **भाग IX-A (अनुच्छेद 243P से 243ZG)** को जोड़ा गया ।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे **18 कार्यात्मक क्षेत्रों को 12वीं अनुसूची में** शामिल किया गया ।

शहरी स्थानीय निकायों की संरचना

1. **नगर निगम** : 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए (जैसे, दिल्ली, मुंबई)।
2. **नगर पालिका** : कम आबादी वाले शहरों के लिए (जैसे, जिला कस्बे)।
3. **नगर पंचायत** : संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए (जैसे, नव शहरीकृत क्षेत्र)।
4. **अधिसूचित क्षेत्र समिति** : तेजी से विकासशील क्षेत्रों के लिए नियुक्त निकाय।
5. **छावनी बोर्ड** : सैन्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों का प्रशासन करता है।
6. **टाउनशिप** : कॉर्पोरेट या सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित औद्योगिक कॉलोनियां।
7. **पोर्ट ट्रस्ट** : बंदरगाह क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करता है (जैसे, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट)।
8. **विशेष प्रयोजन एजेंसियाँ** : परिवहन या आवास जैसे विशिष्ट कार्य निष्पादित करती हैं।

शहरी स्थानीय निकायों का महत्व

1. **शहरी नियोजन** : टिकाऊ शहरी विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और क्रियान्वित करना।
2. **सेवा वितरण** : जल, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्ट्रीट लाइटिंग उपलब्ध कराना।
3. **आपदा प्रबंधन** : स्थानीय संकटों को कम करना और प्रबंधित करना (उदाहरण के लिए, COVID-19 के दौरान BMC)।
4. **समावेशी शासन** : महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए सीट आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
5. **सामुदायिक भागीदारी :** *पूर्ण स्वराज* के गांधीवादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हुए वार्ड समितियों और सार्वजनिक परामर्श जैसे तंत्रों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना ।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

कानूनी ढांचा

- **राज्य नगरपालिका अधिनियम** : संबंधित राज्यों में यूएलबी की संरचना, शक्तियों और कार्यप्रणाली को परिभाषित करना।

- **मेट्रो रेलवे अधिनियम, 1978** : शहरी परिवहन प्रणालियों की देखरेख करता है।

- **राज्य वित्त आयोग (एसएफसी)** : अनुच्छेद 243-आई के तहत नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना।

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के बीच तुलना

पहलू	**शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)**	**ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी)**

कराधान शक्तियों का हस्तांतरण	राज्यों ने शहरी स्थानीय निकायों को संपत्ति कर, मनोरंजन कर और कभी-कभी टोल लगाने की शक्तियां प्रदान की हैं।	सीमित कराधान शक्तियां - मुख्य रूप से संपत्ति और मनोरंजन कर, भूमि कर या टोल तक कोई पहुंच नहीं।
प्रति व्यक्ति राजस्व	प्रति व्यक्ति स्वयं राजस्व संग्रह 3% है, जो शहरी क्षेत्रों में बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है।	प्रति व्यक्ति स्वयं राजस्व संग्रह 0.1% है, जो कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य और कम ग्रामीण आर्थिक क्षमता को दर्शाता है।
क्षेत्रों का कवरेज	शहरी स्थानीय निकाय 74वें संशोधन द्वारा परिभाषित वैधानिक शहरों का प्रबंधन करते हैं और उन्हें अधिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है।	पर्याप्त क्षमता के अभाव के बावजूद, परिभाषा संबंधी अस्पष्टता के कारण कभी-कभी आरएलबी बड़े "जनगणना शहरों" पर शासन करते हैं।
प्रत्यक्ष कर राजस्व हिस्सा	ब्राजील और जर्मनी जैसे देशों की तुलना में, अपेक्षाकृत बेहतर संसाधन जुटाने का प्रदर्शन।	प्रत्यक्ष कर राजस्व में उल्लेखनीय रूप से कम हिस्सेदारी, खराब राजकोषीय स्वायत्तता और अनुदान पर निर्भरता को उजागर करती है।
स्वयं कर राजस्व अंशदान	शहरी स्थानीय निकाय अपने राजस्व का लगभग 44% अपने स्वयं के करों से उत्पन्न करते हैं, जो बेहतर राजकोषीय स्वतंत्रता को दर्शाता है।	आरएलबी अपने स्वयं के करों से केवल 5-6% राजस्व अर्जित करते हैं, जो उनके कमजोर राजकोषीय आधार को उजागर करता है।

भारत में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के समक्ष चुनौतियाँ

1. वित्तपोषण संबंधी चुनौतियां

- **राज्य और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता :** शहरी स्थानीय निकाय अपने राजस्व के लगभग 35% के लिए बाहरी हस्तांतरण पर निर्भर हैं, जैसा कि नगरपालिका वित्त पर आरबीआई रिपोर्ट (2022) में बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में, जीडीपी के हिस्से के रूप में ये हस्तांतरण न्यूनतम हैं।
- **जीएसटी के बाद का प्रभाव :** ऑक्ट्रोई और स्थानीय मनोरंजन कर जैसे राजस्व स्रोत जीएसटी के अंतर्गत समाहित हो गए, जिससे यूएलबी के राजस्व में काफी कमी आई। उदाहरण के लिए, ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) को सालाना लगभग ₹7,000 करोड़ का नुकसान हुआ।
- **अपर्याप्त उपयोग किया गया संपत्ति कर :** राजस्व का एक प्रमुख स्रोत होने के बावजूद, भारत में यूएलबी अपने वित्त का केवल 10-11% संपत्ति करों से एकत्र करते हैं, जो चीन (20-22%) जैसे देशों से बहुत कम है।
- **संकीर्ण कराधान शक्तियां :** यूएलबी के पास विविध कर लगाने की क्षमता का अभाव है, जबकि डेनमार्क (स्थानीय आयकर) या चीन (भूमि उपयोग अधिकार) जैसे देशों में ऐसा नहीं है।
- **राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) में देरी :** राज्य अक्सर एसएफसी के गठन में देरी करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अनियमित और अपर्याप्त हस्तांतरण होता है। 15वें वित्त आयोग के अनुदानों से जुड़ी शर्तें इस मुद्दे को और बढ़ा देती हैं।

2. कार्यात्मक चुनौतियाँ

● **अर्ध-सरकारी निकाय :** शहरी विकास प्राधिकरण और सार्वजनिक निगम जैसी एजेंसियां यूएलबी के कार्यों को हड़प लेती हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता कमजोर होती है।
● **कार्यों का अपूर्ण हस्तांतरण :** कई राज्यों ने 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 18 कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं किया है, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित हो गई है।
● **अकार्यात्मक जिला नियोजन समितियां :** 74वें संशोधन के अनुसार, ये समितियां अधिकांश राज्यों में अप्रभावी बनी हुई हैं, जिसके कारण शहरी नियोजन में अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है।

3. कार्यकर्ताओं की चुनौतियां

● **चुनाव में देरी :** शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने में लगातार देरी से लोकतांत्रिक जवाबदेही कमज़ोर होती है। उदाहरण के लिए, बैंगलोर के बीबीएमपी में 2020 से ही निर्वाचित निकाय का अभाव है।
● **अपराधीकरण और भ्रष्टाचार :** यूएलबी प्रतिनिधियों का बढ़ता अपराधीकरण उनकी विश्वसनीयता को कमजोर करता है, जबकि अनुबंध आवंटन में भ्रष्टाचार दक्षता में बाधा डालता है।
● **कुशल कर्मचारियों की कमी :** नगरपालिकाओं में लगभग 35% पद रिक्त हैं, जिससे आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की यूएलबी की क्षमता प्रभावित हो रही है।

4. शासन संबंधी चुनौतियाँ

● **औपचारिक नेतृत्व :** महापौर अक्सर केवल औपचारिक भूमिकाएं निभाते हैं, जबकि कार्यकारी शक्तियां राज्य द्वारा नियुक्त आयुक्तों के पास होती हैं, जिससे स्थानीय जवाबदेही सीमित हो जाती है।
● **राज्य एकाधिकार :** राज्य सरकारें अक्सर नगर निकायों को खत्म या भंग कर देती हैं और बजट अनुमोदन को नियंत्रित करती हैं।
● **जन भागीदारी का अभाव :** शहरी प्रशासन के प्रति जनता की उदासीनता सामुदायिक भागीदारी को कम करती है, जिससे शहरी स्थानीय निकाय कम जवाबदेह बनते हैं।

5. बुनियादी ढांचा और सेवा वितरण चुनौतियां

● **अनियोजित शहरीकरण :** नगर निकाय नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मलिन बस्तियाँ, यातायात भीड़भाड़ और बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।
● **खराब समन्वय :** केंद्रीय, राज्य और स्थानीय विभागों के बीच ओवरलैप नीति कार्यान्वयन में बाधा डालता है।
● **भ्रष्टाचार :** घोटालों और शासन में पारदर्शिता की कमी से जनता का विश्वास कम होता है।

6. अन्य चुनौतियाँ

● **लिंग और प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दे :** "मेयर पति/पार्षद पति" सिंड्रोम शहरी शासन में महिला सशक्तिकरण को कमजोर करता है।
● **नवाचार की सीमित क्षमता :** शहरी स्थानीय निकायों को कुशल प्रशासन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों और नवीन प्रथाओं को अपनाने में कठिनाई होती है।

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बेहतर कामकाज के लिए समाधान

भारत में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए, 6वें शहरी स्थानीय निकायों, नीति आयोग और अन्य विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित उपायों को लागू किया जा सकता है:

1. संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना

● **शक्तियों का विकेंद्रीकरण :** शहरी स्थानीय निकायों को अधिक निर्णय लेने और वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे स्वायत्त स्थानीय सरकारों के रूप में कार्य करें।

Freedom Academy

- **समय पर चुनाव :** स्थानीय प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित और समय पर चुनाव आयोजित करें।
- **महानगर योजना समितियाँ (एमपीसी) :** विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास योजनाओं का समन्वयन और एकीकरण करने के लिए कार्यात्मक एमपीसी की स्थापना करना।
- **जिला योजना समितियां (डीपीसी) :** समग्र विकास के लिए ग्रामीण और शहरी नियोजन को समेकित करने के लिए डीपीसी को क्रियाशील बनाना।

2. वित्तीय सशक्तिकरण

- **राजकोषीय विकेंद्रीकरण :** शहरी स्थानीय निकायों के लिए अप्रतिबंधित निधियों का हिस्सा बढ़ाना तथा राज्य और केंद्र सरकारों से हस्तांतरण तंत्र में सुधार करना।
- **संपत्ति कर राजस्व में वृद्धि :** बेहतर मूल्यांकन और संग्रहण के लिए जीआईएस और डिजिटलीकरण का उपयोग करके संपत्ति कर प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना।
- **खाली भूमि पर कर :** अप्रयुक्त भूमि पर कर लगाने के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) :** पारदर्शिता बनाए रखते हुए बड़े पैमाने पर शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए पीपीपी को प्रोत्साहित करना।
- **राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) का समय पर गठन :** शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिए स्पष्ट संदर्भ शर्तों के साथ एसएफसी का नियमित गठन सुनिश्चित करना।

3. क्षमता निर्माण

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम :** नियोजन, शासन और सेवा वितरण जैसे क्षेत्रों में नगरपालिका कर्मचारियों, शहरी योजनाकारों और स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण पहल का आयोजन करना।
- **रिक्तियों को भरना :** रिक्त पदों को भरने के लिए कुशल पेशेवरों की भर्ती करना तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक मजबूत कार्यबल का निर्माण करना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण :** कुशल प्रशासन और पारदर्शी सेवा वितरण के लिए ई-गवर्नेंस उपकरणों का लाभ उठाना।

4. बेहतर शासन और जवाबदेही

- **निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना :** निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार के लिए महापौरों और स्थानीय पार्षदों को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करना।
- **नागरिक शिकायत निवारण तंत्र :** शिकायतों को पंजीकृत करने, उन पर नज़र रखने और कुशलतापूर्वक समाधान करने के लिए तकनीक-सक्षम प्लेटफॉर्म स्थापित करना।
- **खुले डेटा के माध्यम से पारदर्शिता :** विश्वास और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रमुख वित्तीय और परिचालन डेटा का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य करें।
- **भ्रष्टाचार विरोधी उपाय :** भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे को मजबूत करना और शहरी स्थानीय निकायों के भीतर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रकटीकरण कानून बनाना।

5. जन भागीदारी बढ़ाना

- **कार्यात्मक वार्ड समितियां और क्षेत्र सभाएं :** स्थानीय मुद्दों पर यूएलबी के साथ नागरिकों की सहभागिता के लिए विकेन्द्रीकृत मंच स्थापित करना।
- **नागरिक समाज की भागीदारी को मजबूत बनाना :** शहरी नीतियों के निर्माण और सेवा वितरण की निगरानी के लिए गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समूहों के साथ साझेदारी करना।
- **टाउन हॉल बैठकें :** सार्वजनिक चिंताओं को दूर करने और यूएलबी पहलों पर प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए नियमित मंचों का आयोजन करना।

6. बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण में सुधार

- **एकीकृत शहरी परिवहन प्रबंधन :** निर्बाध सार्वजनिक परिवहन और यातायात प्रबंधन के लिए एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की स्थापना।
- **नियोजित शहरीकरण :** आवास, गंदी बस्ती विकास और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र शहर नियोजन को लागू करना।
- **पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना :** हरित शहरी स्थानों, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देना।

7. नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

- **डिजिटल शासन :** कुशल कर संग्रह, संसाधन प्रबंधन और नागरिक सहभागिता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।
- **स्मार्ट सिटी पहल :** स्मार्ट सिटी मिशन से स्मार्ट गवर्नेंस, वास्तविक समय निगरानी और केंद्रीकृत कमांड सिस्टम जैसी सफल परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

सफल यूएलबी के केस अध्ययन

- **अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) :** पीपीपी के माध्यम से बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) का सफल कार्यान्वयन।
- **पुणे नगर निगम (पीएमसी) :** घर-घर जाकर कचरा संग्रहण और प्रसंस्करण सहित अनुकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियाँ।
- **सूरत नगर निगम (एसएमसी) :** बुनियादी ढांचे की निगरानी और सार्वजनिक सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

निष्कर्ष

शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें वित्तीय स्वतंत्रता, कुशल कार्मिक, पारदर्शी शासन और सक्रिय नागरिक सहभागिता शामिल हो। इन उपायों को लागू करने से यूएलबी जीवंत और उत्तरदायी संस्थानों में बदल सकते हैं जो भारत की बढ़ती शहरी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में सक्षम हैं।

PYQ:

स्थानीय निकाय - पंचायती राज संस्थाएं

प्रश्न 1. स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण करें तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय करने के पक्ष और विपक्ष को सामने लाएँ। [10 अंक] [2023] 2024

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के माध्यम से स्थापित पंचायती राज प्रणाली और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के माध्यम से संस्थागत शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) ने विकेंद्रीकृत शासन में एक मील का पत्थर स्थापित किया। ये स्थानीय निकाय पूरे भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और सेवा वितरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सुशासन में स्थानीय निकायों की भूमिका

1. सत्ता का विकेंद्रीकरण
○ स्थानीय निकाय प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय प्राधिकार को जमीनी स्तर तक हस्तांतरित करते हैं, जिससे निर्णय लेने में तेजी आती है।
○ **उदाहरण :** स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन स्थानीय शासन तंत्र के माध्यम से अधिक प्रभावी रहा है।
2. सार्वजनिक भागीदारी
○ यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को शासन और संसाधन आवंटन में प्रत्यक्ष भागीदारी मिले।
○ **उदाहरण :** ग्राम सभाएं ग्रामीणों को अपनी चिंताएं व्यक्त करने तथा कार्यक्रमों की निगरानी करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
3. कुशल सेवा वितरण
○ स्थानीय निकाय जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन करते हैं।
○ **उदाहरण :** नगरपालिकाएं अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण तथा शहरी स्वच्छता में सुधार के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का पालन करती हैं।

4. अनुकूलित विकास योजना
○ स्थानीय विकास योजनाएं अपने क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाती हैं, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित होता है।
○ **उदाहरण :** पंचायतें अक्सर ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि नगर पालिकाएं शहरी आवास और परिवहन पर ध्यान देती हैं।
5. आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया
○ स्थानीय निकाय संकट प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे बाढ़, महामारी या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान।
○ **उदाहरण :** COVID-19 महामारी के दौरान , स्थानीय सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाओं, संगरोध केंद्रों और जागरूकता अभियानों के प्रबंधन में मदद की।
6. क्षमता निर्माण और नवाचार
○ अहमदाबाद नगर निगम और सूरत नगर निगम जैसे शहरी स्थानीय निकायों ने कुशल बुनियादी ढांचे की निगरानी और सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया है।

ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के विलय के पक्ष और विपक्ष

लाभ

1. एकीकृत शहरी-ग्रामीण विकास
○ एकीकृत शासन शहरी-ग्रामीण अंतर को पाट सकता है तथा समग्र क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे सकता है।
○ **उदाहरण :** पेरी-अर्बन क्षेत्र, जहां शहरी और ग्रामीण गतिशीलता एक दूसरे को जोड़ती है, सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं।
2. संसाधन साझा करना
○ स्थानीय निकायों के विलय से वित्तीय और मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव हो सकेगा।
○ **उदाहरण** : साझा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क परिचालन दक्षता को बढ़ा सकते हैं।
3. सुव्यवस्थित शासन
○ प्रशासनिक संरचनाओं के दोहराव को कम करता है, सेवा वितरण को बढ़ाता है।
○ **उदाहरण :** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की देखरेख करने वाली एक एकल शासी इकाई समन्वित निर्णय लेने को सुनिश्चित करती है।

"Copyright of Freedom Academy" operated by Freedom UPSC with Dhananjay Gautam

4. व्यापक क्षेत्रीय योजना
○ यह अंतरसंबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर योजना बनाने में सहायता करता है।
○ **उदाहरण :** स्मार्ट सिटी परियोजनाएं निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों पर विचार करके संतुलित विकास सुनिश्चित कर सकती हैं।

नुकसान

1. ग्रामीण आवश्यकताओं की उपेक्षा
○ शहर-केंद्रित प्राथमिकताएं ग्रामीण चिंताओं पर हावी हो सकती हैं, जिससे असमानताएं बढ़ सकती हैं।
○ **उदाहरण :** मेट्रो प्रणाली जैसी शहरी परियोजनाएं सिंचाई जैसी ग्रामीण-केंद्रित पहलों पर वरीयता ले सकती हैं।
2. सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर
○ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विविध सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता शासन के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है।
○ **उदाहरण** : शहरी क्षेत्र औद्योगीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र कृषि और भूमि संबंधी मुद्दों से जूझते हैं।
3. **वित्तीय क्षमताओं में असमानता**
○ उच्च राजस्व स्रोतों के साथ शहरी निकाय, वित्तपोषण आबंटन पर हावी हो सकते हैं, जिससे ग्रामीण आवश्यकताएं हाशिए पर चली जाएंगी।
○ **उदाहरण** : नगर निगमों को संपत्ति कर से बेहतर राजस्व प्राप्त होता है, जबकि ग्रामीण पंचायतों को कम वित्त पोषण मिलता है।
4. **प्रशासनिक एवं कानूनी चुनौतियाँ**
○ पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए नीतियों, कानूनों और शासन संरचनाओं में सामंजस्य स्थापित करना जटिल हो सकता है।
○ **उदाहरण** : भिन्न भूमिकाएं, चुनाव चक्र और शासन ढांचे परिचालन अक्षमताएं पैदा कर सकते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. सहयोगात्मक शासन
○ ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच बिना विलय के, अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए सहयोग को बढ़ावा देना।
○ उदाहरण : जल, अपशिष्ट और परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए कार्यात्मक साझेदारी।
2. **व्यक्तिगत स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना**
○ अपनी विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि करना।
3. **ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना**
○ एकीकृत डेटा प्रबंधन और समन्वित सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।
○ उदाहरण : नागरिक शिकायत निवारण प्रणालियाँ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुलभ हैं।
4. **न्यायसंगत संसाधन आवंटन**
○ राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से संतुलित वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करना।
5. **जन भागीदारी को प्रोत्साहित करें**
○ ग्राम सभाओं , वार्ड समितियों और नागरिक समाज की भागीदारी को मजबूत करें ।

निष्कर्ष

स्थानीय निकाय विकेंद्रीकृत शासन के आवश्यक स्तंभ हैं, जो नागरिक-केंद्रित नीतियों और कुशल सेवा वितरण को सक्षम बनाते हैं। जबकि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को मिलाने का विचार क्षेत्रीय नियोजन और संसाधन अनुकूलन के अवसर प्रदान करता है, सामाजिक-आर्थिक और प्रशासनिक असमानताओं के कारण सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक सहयोगी मॉडल जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अलग-अलग जरूरतों का सम्मान करता है, वह भारत की विविध आबादी की बेहतर सेवा कर सकता है।

Freedom Academy

प्रश्न 2. भारत में राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।" टिप्पणी करें। [10 अंक] [2023] 2023

भारत का शहरीकरण, जिसके 2047 तक 50% तक पहुँचने का अनुमान है, शहरी चुनौतियों के प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) का उद्देश्य 18 कार्यात्मक क्षेत्रों में स्वायत्तता प्रदान करके ULB को सशक्त बनाना था, राज्यों द्वारा पर्याप्त शक्तियाँ और वित्त सौंपने की अनिच्छा ने उनकी प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न की है।

राज्यों की अनिच्छा को उजागर करने वाली चुनौतियाँ

1. वित्तीय बाधाएं

● **अपर्याप्त वित्तपोषण** : शहरी स्थानीय निकायों को बुनियादी परिचालन और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं।
○ उदाहरण : छोटी नगरपालिकाएं बजटीय कमी के कारण अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं।
● **सशर्त अनुदान** : अधिकांश अनुदान कठोर शर्तों के साथ आते हैं, जिससे लचीलापन कम हो जाता है। यहां तक कि वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनटाइड अनुदान भी अक्सर विलंबित या प्रतिबंधित होते हैं।
● **सीमित राजस्व स्रोत** : शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व का 60% से अधिक हिस्सा संपत्ति करों पर निर्भर करता है, तथा उपयोगकर्ता शुल्क या अन्य करों के माध्यम से आय में विविधता लाने के लिए बहुत कम प्रयास किए जाते हैं।
● **कमजोर राज्य वित्त आयोग (एसएफसी)** : कई राज्य नियमित रूप से एसएफसी का गठन करने या उनकी सिफारिशों को लागू करने में विफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शहरी शासन संरचनाओं को अपर्याप्त वित्त पोषण मिलता है।

2. परिचालन और कार्यात्मक सीमाएँ

● **नाममात्र महापौर प्राधिकार :**
○ अधिकांश राज्यों में महापौरों के पास पर्याप्त शक्ति का अभाव है और वे नगर आयुक्तों के प्रभाव में हैं ।
○ उदाहरण : दिल्ली में महापौर का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल की तुलना में सीमित है।
● **चुनाव स्थगित करना :**
○ राज्य अक्सर स्थानीय निकाय चुनावों में देरी करते हैं, जो संवैधानिक पांच वर्षीय अधिदेश का उल्लंघन है।
○ उदाहरण : गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव स्थगित कर दिए गए, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई।
● **शक्तियों का कम हस्तांतरण** : हस्तांतरण सूचकांक से पता चलता है कि अधिकांश राज्य शहरी स्थानीय निकायों को 10% से भी कम अनिवार्य कार्य हस्तांतरित करते हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता कम होती है।

3. **समान्तर निकायों का निर्माण**

● कई राज्य समानांतर संस्थाएं स्थापित करते हैं जो शहरी स्थानीय निकाय की शक्तियों को कमजोर कर देती हैं।
○ उदाहरण : बेंगलुरू विकास प्राधिकरण (बीडीए) स्थानीय नगरपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, जिससे अकुशलता पैदा होती है और जवाबदेही कम होती है।

4. **स्टाफिंग चुनौतियां**

● शहरी स्थानीय निकायों के पास समर्पित प्रशासनिक संवर्ग का अभाव है, तथा वे राज्य स्तर पर नियुक्त अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं, जो अक्सर स्थानीय शासन के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

○ उदाहरण : छोटे शहरों की नगर पालिकाओं को अक्सर तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है।

शहरी स्थानीय निकायों के राज्य सशक्तिकरण के उदाहरण

चुनौतियों के बावजूद, कुछ राज्यों ने नवीन सुधारों के साथ शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया है:

1. **महाराष्ट्र** : मुंबई और पुणे जैसे शहरों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है, जिससे वे शहरी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए स्थानीय कर लगाने और एकत्र करने में सक्षम हैं।
2. **केरल** : जन योजना अभियान विकेन्द्रीकृत शासन सुनिश्चित करता है, तथा स्थानीय स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाता है।
3. **तमिलनाडु** : चेन्नई जैसे शहरों को शहरी नियोजन पर अधिकार है, जिससे वे बुनियादी ढांचे और आवास की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं।
4. **गुजरात** : बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अहमदाबाद की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) संसाधन जुटाने में वृद्धि करती है।
5. **पश्चिम बंगाल** : कोलकाता में नगरपालिकाएं प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करती हैं तथा शहरी आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएं प्रदान करती हैं।
6. **ओडिशा** : ई-नगरपालिका परियोजना पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता में सुधार लाती है, तथा शासन दक्षता बढ़ाती है।

यूएलबी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए सिफारिशें

1. 3एफ (कार्य, निधि, पदाधिकारी) का हस्तांतरण

● राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शहरी स्थानीय निकायों को 74वें संशोधन में उल्लिखित 18 कार्यात्मक क्षेत्रों पर स्पष्ट अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो, तथा उन्हें पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन प्राप्त हों।

2. राज्य वित्त आयोगों को मजबूत बनाना

● एसएफसी की सिफारिशों का नियमित गठन और प्रभावी कार्यान्वयन पूर्वानुमानित और पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित कर सकता है।

3. राजस्व सृजन में वृद्धि

● शहरी स्थानीय निकायों को भीड़-भाड़ कर, उपयोगकर्ता शुल्क और नगरपालिका बांड का लाभ उठाने जैसे नवीन तरीकों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।
○ उदाहरण : पुणे नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल बांड का सफल जारीकरण।

4. क्षमता निर्माण

● स्थानीय अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम से शासन की दक्षता बढ़ सकती है।
○ उदाहरण : आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शहरी शिक्षण मंच (एनयूएलपी) यूएलबी के बीच ज्ञान साझा करने का समर्थन करता है।

5. डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना

● सेवा वितरण और पारदर्शिता में सुधार के लिए ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों को अपनाने का दायरा बढ़ाएं।
○ **उदाहरण** : स्मार्ट सिटी मिशन में सेवाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए डिजिटल उपकरण शामिल किए गए हैं।

6. समानांतर संस्थाओं को सीमित करना

- कार्यों में अतिव्यापन और अकुशलता से बचने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय निकायों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।

निष्कर्ष

जबकि 74वें संशोधन ने यूएलबी को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया, लेकिन कार्यों और वित्त को हस्तांतरित करने में राज्य-स्तर की अनिच्छा एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से स्वायत्त हों। यह भारत की तेजी से शहरीकृत होती आबादी की शासन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 3. आपकी राय में, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस हद तक बदल दिया है? [150 शब्द] [10 अंक] 2022

73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा संस्थागत रूप दिए गए विकेंद्रीकरण ने स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर जमीनी स्तर पर शासन को बदल दिया है। हालाँकि, प्रभावी विकेंद्रीकरण की दिशा में यात्रा में ऐसी चुनौतियाँ हैं जो इसकी पूरी क्षमता को बाधित करती हैं।

विकेंद्रीकरण के सकारात्मक प्रभाव

1. स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना

- **निर्णय-निर्माण का लोकतंत्रीकरण** : विकेन्द्रीकृत शासन ने नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी बढ़ा दी है।
  - उदाहरण : छत्तीसगढ़ में ग्राम सभाएं ग्रामीणों को स्कूल निर्माण जैसी विकासात्मक प्राथमिकताओं को तय करने की अनुमति देती हैं।
- **हाशिये पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना** : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण से व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है।
  - तथ्य : आरक्षण के कारण अब देश भर में 46% से अधिक पंचायत सीटें महिलाओं के पास हैं।
- **स्थानीयकृत नीतियाँ** : स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई गई नीतियाँ शासन की प्रभावशीलता में सुधार करती हैं।
  - **उदाहरण :** झारखंड में आदिवासी पंचायतें वनों और पारंपरिक प्रथाओं के संरक्षण पर जोर देती हैं।

2. जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना

- **नागरिक निरीक्षण तंत्र** : विकेन्द्रीकृत निकाय सीधे समुदाय के प्रति जवाबदेह होते हैं।
  - **उदाहरण** : आंध्र प्रदेश में मनरेगा के तहत सामाजिक ऑडिट से मजदूरी वितरण में भ्रष्टाचार कम हुआ है।
- **वास्तविक समय निगरानी** : शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ई-गवर्नेंस पहल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।
  - **उदाहरण** : हरियाणा में ई-पंचायत परियोजना विकास निधि पर नज़र रखती है, जिससे लीकेज कम होती है।

3. सेवा वितरण को मजबूत करना

- **स्थानीयकृत सेवा प्रावधान** : स्थानीय सरकारें क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।
  - **उदाहरण** : केरल में , विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य सेवाएँ COVID-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण साबित हुईं।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास : पंचायतें सड़कों, स्कूलों और सिंचाई सुविधाओं के विकास की देखरेख करती हैं।
  - **उदाहरण :** गुजरात की ग्राम पंचायतों ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है।
- **कुशल शहरी प्रबंधन** : शहरी स्थानीय निकायों ने नगरपालिका सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया है।

○ उदाहरण : मुंबई नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत ठोस अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करता है।

4. सामाजिक-आर्थिक समावेशन

● **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना** : पंचायतों में महिला नेताओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है।
○ **उदाहरण** : राजस्थान में महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतों ने गांव स्तर पर "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसे बालिका शिक्षा अभियान शुरू किए ।
● **सांस्कृतिक संवेदनशीलता :** विकेन्द्रित शासन स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करता है।
○ **उदाहरण** : पूर्वोत्तर में स्वायत्त जिला परिषदें विकास को बढ़ावा देते हुए जनजातीय विरासत को संरक्षित करती हैं।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

1. संसाधन की कमी

● **अपर्याप्त वित्त** : कई स्थानीय निकायों के पास प्रभावी सेवा वितरण के लिए पर्याप्त वित्त पोषण का अभाव है।
○ तथ्य : भारत में कुल सरकारी राजस्व का केवल 6% स्थानीय सरकारों को आवंटित किया जाता है, जबकि वैश्विक औसत 20% है ।
● **अनुदान पर निर्भरता :** राज्य सरकारें प्रायः सशर्त अनुदान आवंटित करती हैं, जिससे स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
○ उदाहरण : तमिलनाडु में शहरी स्थानीय निकायों को 60% धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है।

2. कमज़ोर प्रशासनिक क्षमता

● **स्टाफ की कमी** : पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है।
○ **उदाहरण** : बिहार में पंचायतें प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर निर्भर रहती हैं, जिनमें अक्सर स्थानीय मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी होती है।
● तकनीकी अंतराल : डिजिटल उपकरणों तक पहुंच की कमी से दक्षता बाधित होती है।
○ उदाहरण : उत्तर प्रदेश में छोटी नगरपालिकाएं अभी भी कर संग्रहण के लिए मैनुअल प्रणाली का उपयोग करती हैं।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप

● **राज्य का प्रभुत्व** : राज्य स्थानीय निकायों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता कम हो जाती है।
○ उदाहरण : दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसी समानांतर एजेंसियां दिल्ली में नगर निगम प्राधिकरणों को दरकिनार कर देती हैं।
● **स्थगित चुनाव** : राज्य अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए स्थानीय चुनावों में देरी करते हैं।
○ उदाहरण : पुणे में नगर निगमों के चुनाव प्रशासनिक बहानेबाजी के कारण स्थगित कर दिए गए।

4. असमान कार्यान्वयन

● **क्षेत्रीय असमानताएँ** : केरल जैसे सुशासित राज्य, विकेन्द्रीकृत शासन को लागू करने में झारखंड जैसे कमजोर राज्यों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
● **एकरूपता का अभाव** : कार्यों का हस्तांतरण राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न होता है।
○ **तथ्य** : केवल 9 राज्यों ने 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 18 कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया है।

5. सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

● कम सार्वजनिक जागरूकता : कई क्षेत्रों में नागरिक विकेन्द्रीकृत शासन के तहत अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ हैं।
○ उदाहरण : ओडिशा जैसे कई राज्यों में ग्राम सभा की बैठकों में भागीदारी 20% से कम है।
● अभिजात वर्ग का कब्जा : शक्तिशाली स्थानीय अभिजात वर्ग अक्सर निर्णय लेने में हावी हो जाता है और कमजोर वर्गों को दरकिनार कर देता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. 3एफ (कार्य, निधि और कार्यकर्ता) को मजबूत करना

- स्थानीय निकायों को कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं हस्तांतरित करना।
- स्टाफिंग चुनौतियों से निपटने के लिए स्थानीय शासन के लिए एक समर्पित कैडर की स्थापना करें।
- स्थानीय सरकारों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए अनबद्ध अनुदान में वृद्धि करें।

2. क्षमता निर्माण

- प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।
- पारदर्शी निधि उपयोग और कुशल सेवा वितरण के लिए डिजिटल गवर्नेंस उपकरणों को बढ़ावा देना।

3. जन भागीदारी को बढ़ावा देना

- ग्राम सभाओं और शहरी नियोजन बैठकों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान बढ़ाएँ।
- स्थानीय शासन के अनिवार्य घटक के रूप में सामाजिक लेखा-परीक्षण को संस्थागत बनाना ।

4. एकसमान कार्यान्वयन

- द्वितीय एआरसी (प्रशासनिक सुधार आयोग) की सिफारिशों को लागू करके राज्यों में हस्तांतरण प्रक्रिया को मानकीकृत करना ।
- जवाबदेही तंत्र को अनिवार्य बनाकर स्थानीय निकायों के लिए समय पर चुनाव सुनिश्चित करना।

5. नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना

- केरल की भागीदारीपूर्ण योजना और गुजरात के शहरी प्रबंधन जैसे सफल मॉडलों को अन्य राज्यों में अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना।
- शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का समर्थन करें।

निष्कर्ष

विकेंद्रीकरण ने स्थानीय भागीदारी, सेवा वितरण और जवाबदेही को बढ़ाकर जमीनी स्तर पर शासन को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। हालाँकि, इसकी सफलता वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों पर काबू पाने पर निर्भर करती है। एक अच्छी तरह से संरचित और सशक्त स्थानीय शासन प्रणाली, सार्वजनिक भागीदारी और क्षमता निर्माण के साथ मिलकर, जमीनी स्तर पर टिकाऊ और समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकती है।

भारत में स्थानीय संस्थाओं की ताकत उनके 'कार्य, कार्यकर्ता और निधि' के प्रारंभिक चरण से 'कार्यक्षमता' के समकालीन चरण में स्थानांतरित हो गई है। हाल के दिनों में उनकी कार्यक्षमता के संदर्भ में स्थानीय संस्थाओं के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डालें।[250 शब्द] [15 अंक] 2020

73वें और 74वें संविधान संशोधन ने विकेंद्रीकरण में मील का पत्थर स्थापित किया, जिसमें स्थानीय संस्थाओं को कार्य, कार्यकर्ता और निधि (3F) सौंपने पर ध्यान केंद्रित किया गया। शुरू में, स्थानीय निकायों को जिम्मेदारियाँ, संसाधन और

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

प्रशासनिक क्षमता हस्तांतरित करने पर ज़ोर दिया गया था। समय के साथ, चर्चा केवल 3F को सक्षम करने से हटकर कार्यक्षमता सुनिश्चित करने की ओर स्थानांतरित हो गई है - स्थानीय संस्थाओं की सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने और शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल शासन जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता।

स्थानीय शासन में कार्यशीलता की प्रमुख चुनौतियाँ

1. **राज्यों के साथ कार्यात्मक ओवरलैप**

- **मुद्दा** : कई राज्य 11वीं और 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं , जिससे स्थानीय स्वायत्तता कमजोर होती है।
- **उदाहरण** : उत्तर प्रदेश में संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद पंचायतों का प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर नियंत्रण नहीं है।
- **प्रभाव** : जिम्मेदारियों का दोहराव और सेवा वितरण में अकुशलता।

2. अर्ध-सरकारी संरचनाएं और खंडित क्षेत्राधिकार

- **मुद्दा** : विकास प्राधिकरण जैसी समानांतर संस्थाओं के निर्माण से स्थानीय निकायों का अधिकार खत्म हो जाता है।
- **उदाहरण** : बेंगलुरू विकास प्राधिकरण के कार्य नगर निगम के कार्यों से मेल खाते हैं, जिसके कारण संसाधनों का कुप्रबंधन होता है और परियोजनाएं विलंबित होती हैं।

3. राजकोषीय चुनौतियां और निर्भरता

- **मुद्दा** : स्वतंत्र राजस्व जुटाने की सीमित क्षमता, जीएसटी के कारण स्थानीय कर संग्रह में कमी के प्रभाव से और भी जटिल।
- **तथ्य** : स्थानीय सरकार का 80% से अधिक राजस्व राज्य या केंद्र से प्राप्त होता है, जो प्रायः सशर्त होता है।
- **उदाहरण** : तमिलनाडु में स्थानीय निकायों को अनुदान प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे विकास परियोजनाएं प्रभावित होती हैं।

4. स्टाफिंग और प्रशासनिक कमियां

- **मुद्दा** : स्थानीय शासन के लिए समर्पित कैडर की कमी और अपर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता कार्यान्वयन में बाधा डालती है।
- **उदाहरण** : बिहार में पंचायतें अप्रशिक्षित कर्मचारियों की समस्या से जूझ रही हैं, जिससे मनरेगा का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है।

5. कमज़ोर संस्थागत तंत्र

- **मुद्दा** : गैर-कार्यात्मक जिला योजना समितियां (डीपीसी) और शासन के विभिन्न स्तरों के बीच खराब समन्वय एकीकृत विकास योजना में बाधा डालते हैं।
- **उदाहरण** : राजस्थान में डी.पी.सी. स्पष्ट अधिदेश और समर्थन के अभाव के कारण अप्रभावी बनी हुई है।

6. शासन मॉडल में शहरी-ग्रामीण विभाजन

- **मुद्दा** : शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को अपशिष्ट प्रबंधन और आवास जैसी जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके पास आनुपातिक संसाधनों और प्राधिकार का अभाव है।
- **उदाहरण** : दिल्ली में नगर पालिकाओं को बड़े पैमाने पर शहरीकरण का प्रबंधन करते समय धन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

7. राजनीतिक और नौकरशाही तनाव

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- **मुद्दा** : नौकरशाहों के प्रभुत्व के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास अक्सर वास्तविक अधिकार का अभाव होता है।
- **उदाहरण :** मुंबई में नगर निगम द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर नौकरशाही प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होती है।

8. अपर्याप्त नागरिक सहभागिता

- मुद्दा : ग्राम सभाओं और शहरी शासन मंचों में कम जागरूकता और भागीदारी से सार्वजनिक जवाबदेही कम हो जाती है।
- तथ्य : कई राज्यों में ग्राम सभा की भागीदारी औसतन 20% से कम है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. 3एफ फ्रेमवर्क को मजबूत करना

- **हस्तांतरण** : ओवरलैप को कम करने के लिए राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चित्रित करना।
- **वित्त** : अप्रतिबंधित अनुदानों को लागू करना तथा संपत्ति करों और उपयोगकर्ता शुल्कों के माध्यम से राजस्व सृजन को प्रोत्साहित करना।
- **पदाधिकारी** : मजबूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ स्थानीय शासन के लिए एक समर्पित कैडर विकसित करना।

2. संस्थागत सुधारों को बढ़ावा देना

- डी.पी.सी. को पुनर्जीवित करना : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एकीकृत योजना के लिए उनकी कार्यक्षमता को अधिदेशित करना।
- पैरास्टेटल्स को सुव्यवस्थित करना : विकास प्राधिकरणों को स्थानीय शासन ढांचे में एकीकृत करके ओवरलैप्स को कम करना।

3. प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना

- **डिजिटल गवर्नेंस** : पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए केरल की ई-गवर्नेंस परियोजना जैसी पहलों का विस्तार करना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)** : अहमदाबाद की बस रैपिड ट्रांजिट प्रणाली जैसी शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए साझेदारी को प्रोत्साहित करना ।

4. नागरिक भागीदारी बढ़ाना

- **जागरूकता अभियान** : विकेन्द्रीकृत शासन के तहत नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना।
- **सामाजिक लेखा-परीक्षण को संस्थागत बनाना** : जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय परियोजनाओं की नियमित निगरानी करना।

5. शहरी-ग्रामीण विषमता को संबोधित करना

- **शहरी लचीलापन** : शहरी स्थानीय निकायों को उनके संसाधन आधार में वृद्धि करके जलवायु परिवर्तन और प्रवासन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाना।
- **ग्रामीण एकीकरण** : संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी योजना को प्रोत्साहित करना।

6. सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना

- **केरल की विकेन्द्रीकृत योजना** : उत्तरदायी शासन के लिए केरल के भागीदारी मॉडल का अनुकरण करें।

● **गुजरात की नगरपालिका दक्षता** : ठोस अपशिष्ट और जल आपूर्ति प्रणालियों सहित गुजरात की कुशल शहरी प्रबंधन प्रथाओं को दोहराना।

निष्कर्ष

जबकि 3F से कार्यक्षमता में परिवर्तन प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, प्रभावी स्थानीय शासन प्राप्त करने के लिए वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों पर काबू पाना आवश्यक है। स्वायत्तता, क्षमता और जवाबदेही तंत्र के साथ स्थानीय संस्थानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि विकेंद्रीकरण जमीनी स्तर पर समावेशी, उत्तरदायी और टिकाऊ शासन के अपने वादे को पूरा करता है।

प्रश्न 5. स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के पितृसत्तात्मक चरित्र पर सीमित प्रभाव पड़ा है।” टिप्पणी करें। [250 शब्द] [15 अंक] 2019

73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया, जो राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बढ़े हुए प्रतिनिधित्व के बावजूद, भारतीय राजनीति का गहरा पितृसत्तात्मक चरित्र इस आरक्षण की परिवर्तनकारी क्षमता को सीमित करता रहता है।

स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिका

1. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका

● **जमीनी स्तर पर विकास की उत्प्रेरक** : पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने में पहल की है।
○ **उदाहरण** : केरल में महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतों ने गरीबी उन्मूलन के लिए कुदुम्बश्री जैसी पहल को सफलतापूर्वक लागू किया है।
● **समावेशी एजेंडा लाना** : महिलाएं पोषण और घरेलू हिंसा जैसे हाशिए के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिन्हें अक्सर पुरुष समकक्षों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है।
○ **उदाहरण** : बिहार में महिला सरपंचों ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दी।
● **चुनौतियाँ :** प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता की कमी उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालती है।

2. शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में महिलाओं की भूमिका

● **शहरी सेवाओं में सुधार** : शहरी स्थानीय निकायों में महिलाएं अक्सर सार्वजनिक सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता और बाल देखभाल सुविधाओं को प्राथमिकता देती हैं।
○ **उदाहरण** : महाराष्ट्र में महिला पार्षदों ने नगरपालिका अस्पतालों में मातृत्व लाभ में सुधार की वकालत की।
● **महिला सुरक्षा पर ध्यान देना** : महिला महापौरों और पार्षदों ने शहरी सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे स्ट्रीट लाइटें और सीसीटीवी कैमरे लगाना।
○ **उदाहरण** : बेंगलुरु की महिला पार्षदों ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक कैब जैसी परियोजनाओं का समर्थन किया।
● **चुनौतियाँ** : नौकरशाही प्रतिरोध और पुरुष-प्रधान निर्णय-निर्माण संरचनाएं उनके योगदान में बाधा डालती हैं।

पितृसत्ता पर सीमित प्रभाव

1. प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व
○ कई महिलाएं नाममात्र की मुखिया के रूप में कार्य करती हैं, जबकि उनके पुरुष रिश्तेदार वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं।
○ **उदाहरण** : मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में निर्वाचित महिलाओं को बोलचाल की भाषा में “मुखिया पत्नी” कहा जाता है।
2. सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ

○ लिंग संबंधी मानदंड महिलाओं की गतिशीलता, सार्वजनिक भाषण और नेतृत्व की भूमिकाओं को सीमित करते हैं।
○ **उदाहरण** : राजस्थान में, सामाजिक कलंक अक्सर महिलाओं को शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने से हतोत्साहित करता है।

3. क्षमता निर्माण का अभाव

○ महिला प्रतिनिधियों को शासन, वित्तीय प्रबंधन और नीति-निर्माण में प्रशिक्षण का अभाव है।
○ तथ्य : PRIA के एक अध्ययन से पता चला है कि 50% से अधिक महिला प्रतिनिधि अपनी संवैधानिक शक्तियों से अनभिज्ञ थीं।

4. महिला-केंद्रित मुद्दों की उपेक्षा

○ घरेलू हिंसा, मातृ स्वास्थ्य और बाल देखभाल जैसी महत्वपूर्ण चिंताएं बुनियादी ढांचे से प्रेरित एजेंडों के कारण दब जाती हैं।
○ उदाहरण : दिल्ली में महिला पार्षदों ने बताया कि क्रेच के उनके प्रस्ताव को पुरुष सहकर्मियों ने नजरअंदाज कर दिया।

5. राजनीतिक संरक्षण और दिखावा

○ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अक्सर प्रभावशाली परिवारों या राजनीतिक दलों द्वारा नियंत्रित होती है, जिससे उनकी स्वतंत्रता कम हो जाती है।

6. लिंग नीतियों का कमज़ोर कार्यान्वयन

○ मातृत्व अवकाश या कार्यस्थल सुरक्षा जैसी लिंग-संवेदनशील नीतियों को कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण कम प्राथमिकता दी जाती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. संस्थागत सुधार

● **जवाबदेही लागू करें** : प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व पर अंकुश लगाने और वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को लागू करें।
● **क्षमता निर्माण :** शासन, डिजिटल उपकरण और वित्तीय प्रबंधन में महिला प्रतिनिधियों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

2. वित्तीय सशक्तिकरण

● **अप्रतिबंधित निधि** : महिला-केंद्रित परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करना, निर्णय लेने में उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करना।
○ **उदाहरण** : कर्नाटक के "स्त्री शक्ति" कार्यक्रम ने वित्तीय स्वतंत्रता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया है।

3. कानूनी और नीतिगत सुधार

● **50% आरक्षण :** महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा , जैसा कि बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में देखा गया है।
● **लिंग आधारित ऑडिट** : महिलाओं के जीवन पर नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ऑडिट को संस्थागत बनाना।

4. यूएलबी और पीआरआई में भागीदारी बढ़ाना

● **सामुदायिक लामबंदी :** ग्राम सभाओं और शहरी मंचों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
● **सर्वोत्तम अभ्यास** : केरल के कुदुम्बश्री और गुजरात के महिला आवास सेवा ट्रस्ट जैसे सफल मॉडलों का अनुकरण करना।

5. सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- **मेंटरशिप कार्यक्रम** : आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अनुभवी नेताओं को नई महिला प्रतिनिधियों के साथ जोड़ें।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म** : महिला नेताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए शिक्षित और सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।

निष्कर्ष

आरक्षण नीति ने बढ़े हुए प्रतिनिधित्व की नींव रखी है, लेकिन पितृसत्तात्मक संरचनाओं पर इसका प्रभाव सीमित रहा है। वास्तविक सशक्तिकरण के लिए ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जो महिलाओं की स्वायत्तता, क्षमता और भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रणालीगत बाधाओं को दूर करके और एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देकर, महिला नेता स्थानीय शासन में परिवर्तनकारी बदलाव ला सकती हैं, जिससे यह अधिक समावेशी और न्यायसंगत बन सकता है।

प्रश्न 6. स्थानीय सरकार के एक भाग के रूप में भारत में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन करें। सरकारी अनुदान के अलावा, पंचायतें विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किन स्रोतों पर विचार कर सकती हैं। [250 शब्द] [15 अंक] 2018

73वें संविधान संशोधन द्वारा संस्थागत रूप दी गई पंचायती राज प्रणाली भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की आधारशिला है। यह शासन को विकेंद्रीकृत करके और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती है। अपने विकासात्मक उद्देश्यों को साकार करने के लिए, पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो अक्सर संरचनात्मक चुनौतियों और सरकारी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण सीमित रह जाते हैं।

पंचायत प्रणाली का महत्व

1. जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना
- पंचायतें शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी को सुगम बनाती हैं तथा दलितों, महिलाओं और जनजातीय आबादी जैसे हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाती हैं।
- **उदाहरण** : मध्य प्रदेश में पंचायतों में आरक्षण के कारण महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

2. ग्रामीण विकास के लिए उत्प्रेरक
- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं , जिससे ग्रामीण आजीविका में सुधार होता है।
- उदाहरण : तमिलनाडु में पंचायतों ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

3. शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटना
- पंचायती राज संस्थाएं संसाधनों और सेवाओं का समान वितरण सुनिश्चित करती हैं, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में।
- उदाहरण : केरल के "पीपुल्स प्लान अभियान" ने भागीदारी योजना के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार किया।

4. स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाना
- पंचायतें जमीनी स्तर पर नेतृत्व को बढ़ावा देती हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों और जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं।

पंचायतों का वित्तीय तंत्र

पंचायतों के लिए वित्तपोषण के स्रोत

1. राजस्व का टैक्स
- पंचायतें संपत्ति, पानी, बाजार और व्यवसायों पर कर लगाती हैं।
- उदाहरण : गुजरात की पंचायतों ने संपत्ति कर संग्रह के माध्यम से राजस्व में सफलतापूर्वक वृद्धि की है।

2. अनुदान सहायता
○ केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) , राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) और विशिष्ट योजनाओं से वित्तीय सहायता ।
○ उदाहरण : 15वें वित्त आयोग ने जल एवं स्वच्छता हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 60,750 करोड़ रुपए आवंटित किए।
3. ऋण और बाह्य सहायता
○ बैंकों, नाबार्ड और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों से ऋण।
○ उदाहरण : नाबार्ड समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ हुआ है।
4. फीस और लाइसेंस से प्राप्त राजस्व
○ पंचायतें दुकानों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों के लाइसेंस से राजस्व अर्जित करती हैं।
5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)
○ स्थानीय परियोजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए निजी कंपनियों के साथ सहयोग।
○ उदाहरण : कर्नाटक में पीपीपी मॉडल ने गांवों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद की है।

पंचायत वित्त में चुनौतियाँ

1. सीमित राजस्व-उत्पादन क्षमता
○ संकीर्ण कर आधार और अकुशल कर संग्रहण के कारण अनुदान पर निर्भरता।
2. राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) का कमजोर कार्यान्वयन
○ राज्य प्रायः एसएफसी का गठन करने या उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करने में असफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण होता है।
○ **उदाहरण** : कई राज्य राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी करते हैं, जिससे पंचायतों को पर्याप्त धन नहीं मिल पाता।
3. संसाधनों का असमान वितरण
○ समृद्ध पंचायतें (जैसे केरल या महाराष्ट्र) संसाधन-विहीन पंचायतों (जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश) की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं।
4. निधि वितरण में विलंब
○ नौकरशाही की अकुशलताएं और धन हस्तांतरण में प्रक्रियागत देरी परियोजना कार्यान्वयन में बाधा डालती है।
5. अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता
○ पंचायत बजट का एक बड़ा हिस्सा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़ा हुआ है, जिससे स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
6. लीकेज और भ्रष्टाचार
○ कमजोर जवाबदेही तंत्र के कारण धन का दुरुपयोग होता है।

राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) से संबंधित मुद्दे

1. संवैधानिक आदेशों का पालन न करना
○ कई राज्य एसएफसी के गठन में देरी करते हैं या उनकी सिफारिशों को नजरअंदाज कर देते हैं।
○ तथ्य : 2023 तक केवल 15 राज्यों ने एसएफसी सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
2. मानकीकरण का अभाव
○ राज्यों में निधि आबंटन के लिए एक समान मानदंड का अभाव।
3. अतिव्यापी जिम्मेदारियाँ
○ पंचायती राज संस्थाओं और राज्य विभागों के बीच अस्पष्टता कार्यात्मक अकुशलता को जन्म देती है।
4. क्षमता घाटा
○ राज्य वित्त निगमों में अपर्याप्त संसाधन एवं कुशल कार्मिकों का अभाव।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. वित्तीय हस्तांतरण को मजबूत करना

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- एसएफसी की सिफारिशों का समय पर गठन और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत पंचायतों को आवंटित किया जाए।

2. राजस्व सृजन क्षमता बढ़ाना

- पंचायतों को नवीन कर लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर पर्यटन कर लगाना।
- कुशल कर संग्रहण के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना।

3. अनुदान पर निर्भरता कम करना

- पंचायतों को बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण के लिए निजी संगठनों के साथ साझेदारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) जैसे समुदाय-आधारित वित्तपोषण मॉडल का अन्वेषण करें।

4. क्षमता निर्माण

- पंचायत अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन और संसाधन जुटाने में प्रशिक्षित करना।

5. पारदर्शिता को मजबूत करना

- सामाजिक लेखापरीक्षा और सहभागी बजट को संस्थागत बनाना।
- निधि उपयोग पर नज़र रखने और जवाबदेही में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाएँ जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में एक अपरिहार्य भूमिका निभाती हैं। हालाँकि, उनकी प्रभावशीलता वित्तीय सशक्तिकरण और स्वायत्तता पर निर्भर करती है। वित्तीय हस्तांतरण, संसाधन जुटाने और शासन में प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने से पीआरआई अपने विकासात्मक जनादेश को पूरा करने और ग्रामीण भारत को स्थायी रूप से बदलने में सक्षम होंगे।

प्रश्न 7. भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। इस कथन की आलोचनात्मक जाँच करें और स्थिति को सुधारने के लिए अपने विचार दें। [150 शब्द] [10 अंक] 2017

73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना था। हालाँकि पीआरआई ने कुछ सफलताएँ हासिल की हैं, लेकिन वे वित्तीय स्वायत्तता, शक्तियों के हस्तांतरण और संस्थागत क्षमता में चुनौतियों से विवश हैं, जिससे शासन के साधन के रूप में उनकी प्रभावशीलता सीमित हो गई है।

स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता

1. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
- पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं तथा सहभागी शासन को बढ़ावा देती हैं।
- **उदाहरण** : जन योजना अभियान के तहत केरल की विकेन्द्रीकृत योजना प्रभावी स्थानीय शासन को दर्शाती है।

2. समावेशिता और प्रतिनिधित्व
- महिलाओं एवं हाशिए पर पड़े समूहों के लिए अनिवार्य आरक्षण समतापूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- उदाहरण : बिहार में अब निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है, जो शिक्षा और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर आवाज उठा रही हैं।

3. उन्नत सेवा वितरण
- मनरेगा जैसी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का प्रबंधन करती हैं , जिससे ग्रामीण आजीविका में सुधार होता है।

○ उदाहरण : राजस्थान में पंचायतों ने मनरेगा परियोजनाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया है।

4. समुदाय-केंद्रित विकास

○ स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने से लक्षित और प्रासंगिक विकास परियोजनाएं सुनिश्चित होती हैं।

○ उदाहरण : तमिलनाडु पंचायती राज संस्थाएं सामुदायिक मांग के आधार पर पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता देती हैं।

प्रभावशीलता में चुनौतियाँ

1. अपर्याप्त वित्तीय संसाधन

○ पंचायती राज संस्थाएं राज्य और केंद्रीय अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर हैं, तथा उनकी स्वयं-सृजित राजस्व की क्षमता सीमित है।

○ उदाहरण : उत्तर प्रदेश में पंचायतों को अनियमित निधि वितरण के कारण परिचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2. शक्तियों का अपूर्ण हस्तांतरण

○ 11वीं अनुसूची के तहत अनिवार्य रूप से प्रमुख जिम्मेदारियां और संसाधन पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किए हैं ।

○ उदाहरण : झारखंड जैसे राज्यों में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र अक्सर स्थानीय निकायों को नजरअंदाज कर देते हैं।

3. क्षमता घाटा

○ निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासन और वित्तीय प्रबंधन में पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है।

○ उदाहरण : ग्रामीण ओडिशा में नवनिर्वाचित नेता सीमित अभिमुखीकरण कार्यक्रमों के कारण तकनीकी प्रक्रियाओं से जूझते हैं।

4. लिंग-आधारित प्रॉक्सी नेतृत्व

○ सरपंच पति संस्कृति महिला नेताओं के अधिकार को कमजोर करती है।

○ उदाहरण : राजस्थान और हरियाणा में, पुरुष रिश्तेदार अक्सर निर्वाचित महिला नेताओं के कर्तव्यों का पालन करते हैं।

स्थानीय स्वशासन में सुधार के लिए सिफारिशें

1. वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करें

○ स्थानीय करों को कुशलतापूर्वक लगाने और एकत्र करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना।

○ **तथ्य** : 14वें वित्त आयोग ने राजकोषीय स्वायत्तता में सुधार के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए अधिक आवंटन की सिफारिश की थी।

2. शक्तियों का पूर्ण हस्तांतरण

○ 11वीं अनुसूची के अंतर्गत सभी 29 विषय प्रभावी रूप से पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाएं।

○ सिफारिश : पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रदान करने के लिए अशोक मेहता समिति के सुझावों को लागू किया जाए।

3. क्षमता निर्माण

○ निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करें।

○ उदाहरण : राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जा सकता है।

4. महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करें

○ महिला प्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम और नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करना।

○ उदाहरण : केरल की महिला नेताओं ने पर्याप्त सहायता तंत्र के साथ प्रभावी शासन का प्रदर्शन किया है।

5. संस्थागत सुधार

○ समय पर और समान निधि आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) को मजबूत बनाया जाएगा।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

○ तथ्य : कई राज्य एसएफसी की सिफारिशों के गठन और कार्यान्वयन में देरी करते हैं, जिससे पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय योजना कमजोर हो जाती है।

6. तकनीकी एकीकरण

○ फंड ट्रैकिंग, शिकायत निवारण और स्थानीय विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करें।

○ उदाहरण : कर्नाटक में ई-पंचायत पहल से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।

निष्कर्ष

पंचायती राज प्रणाली ने सहभागी शासन की नींव रखी है, लेकिन वित्तीय, प्रशासनिक और सामाजिक बाधाओं के कारण अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में संघर्ष करती है। बढ़ी हुई विकेंद्रीकरण, क्षमता निर्माण और मजबूत वित्तीय तंत्र के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने से पीआरआई शासन के प्रभावी साधन बन सकेंगे। समावेशी विकास को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मजबूत स्थानीय स्वशासन महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 8. एक सुशिक्षित और संगठित स्थानीय स्तर की शासन प्रणाली के अभाव में, 'पंचायतें' और 'समितियाँ' मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाएँ बनी हुई हैं और शासन के प्रभावी साधन नहीं हैं। आलोचनात्मक चर्चा करें। [200 शब्द] [12.5 अंक] 2015

भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली के अंग के रूप में पंचायतों और समितियों का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी शासन के साधन बनना था। हालांकि, स्थानीय प्रतिनिधियों में शिक्षा और उचित संगठन की कमी के कारण, वे कुशल शासन संरचनाओं के बजाय बड़े पैमाने पर राजनीतिक निकाय बने हुए हैं। यह मुद्दा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता को बाधित करता है।

शिक्षा और संगठन की कमी के कारण चुनौतियाँ

1. **स्थानीय प्रतिनिधियों की अपर्याप्त शिक्षा**

    ○ पंचायतों और समितियों में निर्वाचित कई प्रतिनिधियों में शासन संबंधी आवश्यक शिक्षा और समझ का अभाव है।

    ○ **प्रभाव** : खराब निर्णय-प्रक्रिया और नीतियों का अप्रभावी कार्यान्वयन।

    ○ **उदाहरण** : राजस्थान जैसे राज्यों में, नेताओं को प्रशिक्षण की कमी के कारण अक्सर शासन की जटिल प्रक्रियाओं को समझने में संघर्ष करना पड़ता है।

2. **भूमिकाओं की समझ का अभाव**

    ○ कई प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारियों और शक्तियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती, जिसके कारण उन्हें बाहरी राजनीतिक प्रभावों पर निर्भरता बना रहती है।

    ○ **प्रभाव** : स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थता, शासन की प्रभावशीलता में कमी।

    ○ **उदाहरण** : उत्तर प्रदेश में स्थानीय नेता अपनी भूमिकाओं के सीमित ज्ञान के कारण अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में विफल रहते हैं।

3. **पंचायती राज संस्थाओं का राजनीतिकरण**

    ○ पंचायतें और समितियां अक्सर सामुदायिक कल्याण पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक लाभ का साधन बन जाती हैं।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

○ **प्रभाव** : संसाधनों का दुरुपयोग होता है और स्थानीय विकास पीछे छूट जाता है।

○ **उदाहरण** : बिहार में पंचायत निधि का उपयोग कभी-कभी स्थानीय आवश्यकताओं के बजाय राजनीतिक हितों को पूरा करने वाली परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

4. **प्रतिनिधित्व में लिंग संबंधी मुद्दे**

○ महिलाओं के लिए आरक्षण के बावजूद, कई महिला प्रतिनिधियों के पास "सरपंच पति" संस्कृति के कारण अधिकार का अभाव है, जहां परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय लेने में हावी होते हैं।

○ **प्रभाव** : महिलाएँ नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती हैं।

○ **उदाहरण** : हरियाणा में कई निर्वाचित महिला पंचायत प्रमुखों को उनके पतियों या अन्य पुरुष रिश्तेदारों द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।

सुधार के लिए सिफारिशें

1. **शिक्षण और प्रशिक्षण**

○ निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए उनके शासन, वित्तीय और योजना कौशल में सुधार के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करें।

○ **उदाहरण** : **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडीपीआर) को** स्थानीय नेताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना चाहिए।

2. **वित्तीय स्वायत्तता में सुधार**

○ राज्य वित्तपोषण पर निर्भरता कम करने के लिए पंचायतों को स्थानीय स्तर पर राजस्व उत्पन्न करने की शक्ति दी जानी चाहिए, जैसे करों के माध्यम से।

○ **उदाहरण** : संपत्ति कर एकत्र करने में केरल की सफलता अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन सकती है।

3. **सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना**

○ नियमित ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें जहां नागरिक अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकें और निर्णय लेने में मदद कर सकें।

○ **उदाहरण** : महाराष्ट्र में ग्राम सभा की बैठकों से पंचायत के निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।

4. **महिला नेताओं को सशक्त बनाना**

○ पंचायतों में महिलाओं के लिए मार्गदर्शन और नेतृत्व कार्यक्रम बनाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पुरुष हस्तक्षेप के बिना प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकें।

○ **उदाहरण** : गुजरात में **SEWA के कार्यक्रमों ने** महिला नेताओं को शासन में अधिक स्वायत्त और सक्रिय बनने में मदद की है।

निष्कर्ष

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

पंचायतों और समितियों को राजनीतिक संस्थाओं से आगे बढ़कर प्रभावी शासन निकाय बनने के लिए शिक्षा, वित्तीय स्वायत्तता और अधिक सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इन मुद्दों को संबोधित करके, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण भारत की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS